श्रेणी तीन की नियुक्तियां

१३००. श्री ब० दी० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा—श्रेणी ३ में १९५३ से अब तक अलग अलग (१) सीधी भर्ती द्वारा (२) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा और (३) वरिष्ठता के आधार पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये;

(ख) उपरोक्त तीनों श्रेणियों में से किस श्रेणी में शिक्षा की दृष्टि से उच्चतम योग्यता वाले लोग ह; और

(ग) अब सीधी भर्ती के लिये कब परीक्षा ली जायेगी और उस में कितने व्यक्ति लिये जायेंगे ?

गृ‍ह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)

(क) (i) ५१

(ii) १९४ ।

(iii) १९४ ।

(ख) ग्रेड III में केवल सीधी भर्ती के लिये ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं । लेकिन उस ग्रेड में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये एसी कोई योग्यतायें निर्धारित नहीं की गई है । अधिकारियो की शैक्षणिक योग्यताओं का कोई तुलनात्मक रिकार्ड नही रखा जाता है ।

(ग) १९५८ । इस में से जिन व्यक्तियों की भर्ती करने का विचार है उन की अस्थायी संख्या ४० है ।

दण्डित व्यक्तियों की नियुक्ति

१३०१. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ और १९५७ में अब तक अनैतिक व्यवहार के कारण दण्डित हुए किन्हीं व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर नियुक्त करने के योग्य समझा गया ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) गृह-मंत्रालय की १९५६-५७ की रिपोर्ट के पैरा १९ के अनुसार हिदायत जारी कर दी गई थी कि उचित मामलो में उन व्यक्तियो को नियुक्त किया जा सकता है जिन को अनैतिक व्यवहार के अपराध में दण्डित किया गया था । अभी यह सूचना उपलब्ध नही है कि इन हिदायतों के अनुसार कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है । यह सूचना एकत्र कर के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसे हर एक मामले का निश्चय उस के गुण अवगुण के आधार पर किया जाता है । इस में मुख्य विचार यह रहता है कि सम्बन्धित व्यक्ति में कुछ विशेषतायें हैं और उस ने अपने आप को सुधार लिया है ।

सेवा नियम

१३०२. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित नियमों को तैयार और लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है :

(१) अखिल भारतीय सेवायें (अध्ययन अवकाश) विनियम;

(२) अखिल भारतीय सेवायें (असाधारण निवृत्ति वेतन) नियम;

(३) अखिल भारतीय सेवायें (वार्षिकी का संराशीकरण) विनियम;